उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्याः 625–कार्य/चौदह–पाकालि/2009–61–के/2009 दिनांकः मई 15 ,2009

कार्यालय–ज्ञाप

ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण डिजाइन, बिल्ड फाईनेन्स एण्ड ऑपरेट (डी०बी०एफ०ओ०) के आधार पर किया जा रहा है जिसकी संरेखण की सैद्धान्तिक स्वीकृति उ०प्र० शासन द्वारा जनपद फर्रूखाबाद के कुछ भाग व जनपद बलिया के क्षेत्र को छोड़कर प्रदान कर दी गई है। अन्य एक्सप्रेसवे यथा ताज, गंगा/यमुना एक्सप्रेसवे में भी विद्युत सम्बन्धी कार्य किये जाने है, जिनमें विद्युत से सम्बन्धित कार्यो के त्वरित गति से निष्पादन, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता (पारेषण) के अधीन एतद्द्वारा मुख्यालय पर एक कोर ग्रुप का गठन किया जाता है जो उक्त परियोजनाओं के कियावन्यन में विद्युत से सम्बन्धित समस्त समस्याओं को पारेषण/वितरण स्कन्ध से समन्वय स्थापित करके दू करायेगा।

1. श्री डी०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (मु०) पारेषण–स्कन्ध – नोडल अधिकारी
2. श्री आर०के० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (पारेषण) – पूर्णकालिक सदस्य
3. श्री आलोक मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता (सी०एम०यू०डी०) वितरण सम्बन्धी कार्यो हेतु – पूर्णकालिक सदस्य

उपरोक्त कोर ग्रुप निम्नलिखित कार्यों को अपने अनुश्रवण में सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगा :–

- समस्त नई विद्युत लाइनें (**LT, HT, EHV**) जो कि भविष्य में प्रस्तावित है की इस प्रक समीक्षा की जाये कि वह एक्सप्रेसवे के संरेखण से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर स्थित है।
- यदि नई विद्युत की लाईनों (**LT, HT, EHV**) का निर्माण एक्सप्रेस वे के संरेखण से निर्धा दूरी में किया जाना सम्भव न हो, तो ऐसी विद्युत लाईनों की एक्सप्रेसवे से क्रासिंग डिजाइन इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार करने पर विचार किया जाये।
- जहाँ कही पर स्थापित विद्युत की लाईनें (**LT, HT, EHV**) जो एक्सप्रेसवे को पार करती उनको ऊँचा करने के लिए समुचित उपाय करने या उनको हटाने का प्राविधान वि जाये जिससे कि उक्त लाइन एक्सप्रेसवे के ऊपर विद्युत सुरक्षा नियमों के अन्त सुरक्षित दूरी बनाते हुये स्थापित रहें।

नोडल अधिकारी अपने आवंटित कार्य के साथ–साथ उपरोक्त कार्य को भी सम्पादित करेगें जि लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। अन्य दो अधिशासी अभियन्ता पूर्णकालिक स होगें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 625 (I)–कार्य–चौदह/पाकालि/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अपर सचिव–द्वितीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अनुमोदित टिप्पणी की प्रति इस आशय से प्रेषित कि पूर्णकालिक नामित सदस्यों को मुख्य अभियन्ता (पारेषण) से सम्बद्ध करने हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गमन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

(भारत भूषण गोयल)
उपसचिव (कार्य)

संख्याः 625 (II)–कार्य–चौदह/पाकालि/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष से सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता/प्रमुख निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/ट्रान्सकों/केस्कों/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ/कानपुर ।
5. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वितरण/पारेषण/वित्त, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपेन्ट अथारिटी, ए–ब्लाक, तृतीय तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को पत्रांक–30/यू0पी0डा0/08/33 दिनांक 13.04.2009 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) उ0प्र0पा0का0लि0 ।
8. मुख्य अभियन्ता (सामग्री–प्रबन्ध)/मुख्य अभियन्ता–स्तर–1 (प्रशि0 एवं मा0सं0वि), उ0प्र0पा0का0लि0 ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0 ।
11. अपर सचिव (I/II)/अराजपत्रित/कादिनी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. श्री डी0पी0 सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (मु0) पारेषण–स्कन्ध उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. श्री आर0के0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. श्री आलोक मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता (सी0एम0यू0डी0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0 ।
16. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ ।
17. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/ट्रान्सकों/केस्कों लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ/कानपुर ।

आज्ञा से,

(भारत भूषण गोयल)
उपसचिव (कार्य)